

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1177 / 2017 / हनुमानगढ़.
2. अपील संख्या - 1178 / 2017 / हनुमानगढ़.
3. अपील संख्या - 1179 / 2017 / हनुमानगढ़.

मैसर्स त्रिमूर्ति ट्रेडर्स, हनुमानगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, श्रीगंगानगर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, हनुमानगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

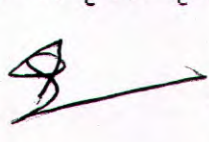
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/12/2017

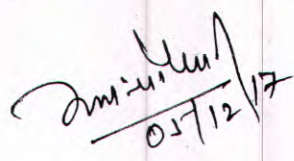
निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ये तीनों अपीलें संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रार्थना-पत्र संख्या 594, 588 व 591 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 07.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः वर्ष 2007-08, 2006-07 व 2008-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पृथक-पृथक पारित किये गये एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.08.2016 को रीओपन करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि वह मांगपत्र की तामील के एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किये गये थे। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।
3. इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

 05/12/17

लगातार.....2

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावलियों के अवलोकन एवं विद्वान अभिभाषकगण के कथन एवं तथ्यों के आधार पर प्रकरणों में निम्न निर्णय किया जाता है।
5. प्रकरण में उक्त तीनों वर्षों के कर निर्धारण आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2016 को वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये थे, जिसमें यह अंकित किया गया था कि अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण करने के लिये समस्त रेकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ दिनांक 30.08.2016 की पेशी तिथि निश्चित करते हुए सूचना दी गयी थी, परन्तु दिनांक 30.08.2016 को लेखा-पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करने एवं कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। उक्त एकपक्षीय आदेश को रीओपन करने हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र दिनांक 29.05.2017 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एकपक्षीय पारित आदेश को तामील कराने की तारीख दिनांक 22.05.2017 अंकित की गयी थी। इस तरह मांगपत्र आदेश की तामील करने के 5 दिवस पश्चात् ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया था। अपीलार्थी के आवेदन-पत्र पर सुनवाई हेतु प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई की जाने के पश्चात् दिनांक 07.07.2017 को सम्पूर्ण तथ्यों के विवरण के साथ आदेश पारित कर अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार किया गया।
6. अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि कर निर्धारण हेतु नोटिस दिनांक 12.08.2016 को जारी किया गया था वह दिनांक 06.09.2016 को तामील हुआ था एवं कर निर्धारण आदेश की प्रति भी व्यवहारी को घोषित घर के पते पर डाक द्वारा दिनांक 07.06.2016 को भिजवाई गई थी एवं कर निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर दिनांक 02.01.2017 को सूचना दी गयी थी।
7. प्रशासनिक अधिकारी की उक्त टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.08.2016 को पारित किया गया है जबकि उसके लिये सुनवाई का नोटिस दिनांक 06.09.2016 अर्थात् आदेश पारित करने के 7 दिन बाद तामील करवाया गया है, इस तरह बिना किसी सुनवाई के पारित किया गया आदेश पुनः खोलने योग्य होना स्पष्ट प्रतीत होता है।

लगातार.....3

8. प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आवेदन को अंत में इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 02.01.2017 को सूचना के अधिकार के तहत कर निर्धारण होने की सूचना दी गयी थी एवं कर निर्धारण अधिकारी ने यह भी अंकित किया है कि कर निर्धारण आदेश की प्रति डाक द्वारा घोषित घर के पते पर दिनांक 07.09.2016 को भिजवाई गई थी, परन्तु इस तामिली के तथ्य का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा भी पत्रावली पर कर निर्धारण आदेश या मांगपत्र तामिल होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध होना नहीं बताया जा सका है। पत्रावली एवं आदेश से यह भी प्रमाणित है कि अपीलार्थी को कर निर्धारण किये जाने की सूचना होने के बाद उनके द्वारा डिमाण्ड नोटिस एवं कर निर्धारण आदेश प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किये जाने पर उन्हें उसकी प्रति दिनांक 22.05.2017 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गयी, ऐसी स्थिति में उसके 5 दिवस बाद ही धारा 58 में आवेदन पेश किया जाना धारा 34 में दी गयी अवधि के भीतर था। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने आदेश में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है कि दिनांक 07.09.2016 को डिमाण्ड नोटिस व्यवहारी को तामिल हो गया था या दिनांक 02.01.2017 को भी डिमाण्ड नोटिस तामिल करवाया गया था। इस तरह दोनों ही तथ्य प्रमाणित हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस तामिल करवाये बिना ही दिनांक 30.08.2016 को आदेश पारित किया गया एवं नोटिस बाद में दिनांक 06.09.2016 को तामिल करवाया गया एवं कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के बाद कार्यालय की ओर से अपीलार्थी को कोई कर निर्धारण आदेश या मांगपत्र तामिल नहीं करवाया गया, क्योंकि तामिल सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है, इस तरह प्रथम बार मांगपत्र एवं आदेश की प्राप्ति अपीलार्थी को उनके द्वारा मांगे जाने पर दिनांक 22.05.2017 को करवाई गई। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा रीओपन हेतु प्रस्तुत आवेदन को अवधि पार मानकर खारिज किया जाना तथ्यों एवं विधि के विपरीत है, अतः न्यायहित में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने हेतु कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये जाना न्यायोचित है।

9. फलतः प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 07.07.2017 एवं कर निर्धारण अधिकारी के उक्त समस्त आदेश दिनांक 30.08.2016 को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं एवं व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक की सहमति अनुसार कर निर्धारण हेतु उपस्थित होने के लिये दिनांक 21.01.2018 की तिथि निश्चित की जाती है।



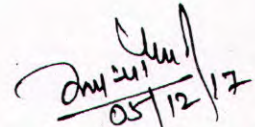
05/12/17 लगातार.....4

श्री पारीक ने यह भी सहमति प्रकट की है कि उन्हें इस सम्बन्ध में किसी और नोटिस की आवश्यकता न होकर वह स्वयं नियत दिवस पर उपस्थित होंगे और कर निर्धारण अधिकारी के निर्देशानुसार समस्त लेखा-पुस्तकें एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी प्रकरण के निस्तारण में यदि और समय भविष्य में देते हैं तब उसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को लिखित में नोट करवायें और समुचित अवसर प्रदान किया जाये।

10. उक्तानुसार अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


05/12/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य